निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज.)
प्रकरण संख्या 34/2020 (रसद अपील)
पुरूषोत्तम अग्रवाल पुत्र श्री रामअवतार अग्रवाल, प्राधिकारधारक उचित मूल्य दुकान संख्या 584, मानसरोवर जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व एकतरफा आदेश व निर्णय दिनांक 22.07.2020 जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 532/2020 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान संख्या 584 ए जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र निरस्त करने तथा 1991 किलोग्राम गेहूँ को बाजार मूल्य की वसूली का नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये।

उपस्थित :–

1. श्री के. डी. शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 12.04.2021

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी पुरूषोत्तम अग्रवाल प्राधिकारधारक उचित मूल्य दुकानदार दुकान संख्या 584–ए, जयपुर शहर का जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के आदेश दिनांक 22.07.2020 से प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं1991 किलोग्राम गेहूँ को बाजार मूल्य की वसूली के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान संख्या 584–ए जयपुर शहर का प्राधिकारधारक है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतदपश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के तहत प्राधिकार पत्र संख्या 1154/2012 मिला हुआ है, अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों व निर्बन्धनों तथा केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधिसूचित आदेशों एवं सक्षम अधिकारियों के निर्देशानुसार खाद्यान्न व अन्य आवश्यक

पदार्थ, जो विभिन्न योजनाओं के तहत अपीलार्थी को राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का वितरण राशनकार्डधारक यूनिट रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं को आधार कार्डो पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है। दिनांक 03.04.2020 के इकतरफा आदेश द्वारा जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी की उक्त उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेशों तक निलम्बित किये जाने का आदेश पारित किया तथा दिनांक 03.04.2020 को अपीलार्थी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में श्री गणेशराम, रूपनारायण, महेन्द्र बुनकर, ईश्वरलाल, रामस्वरूप सैनी, राजेश एवं राजेन्द्र राशन उपभोक्ताओं को उनके आधारकार्ड पर गेहूँ नहीं दिये जाने का आरोप है। अपीलार्थी ने दिनांक 07.04.2020 को उक्त नोटिस का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया, जिसमें कथन किया गया कि उक्त उपभोक्ताओं को गेहूँ दिया गया है, जिनकी राशनकार्ड में प्रविष्टियां है। सभी कार्डो पर राशन ओ.टी.पी. द्वारा दिया गया है। अपीलार्थी ने प्रत्युत्तर नोटिस के साथ राशनकार्ड की प्रतियॉ एवं उपभोक्ताओं द्वारा लिखित बयान की प्रतियॉ प्रस्तुत की। दिनांक 25.04.2020 को जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी को एक नोटिस जारी किया जिसमें जवाब देने हेतु दुकानदार को व्यक्तिगत उपस्थित होकर पेश किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु नोटिस का जवाब श्रीमती किरण द्वारा पेश किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक ने दिनांक 27.04.2020 को श्रीमती किरण को तलब कर उसके बयान लेखबद्ध किये जिसमे श्रीमती किरण ने कथन किया कि उनके पति स्लिप डिस्क के कारण बैड रेस्ट पर है और कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते तथा यह भी स्पष्ट किया कि उसके द्वारा ए.पी.एस. 69/392 मानसरोवर जयपुर के पते पर संचालित है। अपीलार्थी की पत्नी ने यह भी कथन किया कि ए.पी.एस. 584–ए किराये पर दी हुई है जो वर्तमान में 69/382 मानसरोवर जयपुर के पते पर संचालित है तथा जिसके परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में दिया हुआ है। दिनांक 25.05.2020 को अपीलार्थी की ओर से जिला रसद अधिकारी के यहां यह प्रार्थना पत्र पेश किया कि अपीलार्थी ने नोटिस का जवाब पेश कर दिया है तथा उपभोक्ताओं के राशनकार्ड व उनके कथन पेश कर दिये है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया, उसकी उचित मूल्य दुकान बहाल फरमाई जावे, परन्तु जिला रसद अधिकारी ने उक्त नोटिस के संबंध में ना तो कोई जांच की, ना साक्ष्य ली, ना सुनवाई की और ना ही कोई अन्तिम निर्णय पारित किया। जिला रसद अधिकारी ने उक्त प्रकरण में कोई निर्णय पारित नहीं कर अपीलार्थी को पुनः दिनांक 12.06.2020 को उपस्थित होने के लिये एक कारण बताओं नोटिस दिनांक 27.05.2020 को जारी किया, जिसमें 1. लीलाराम भगतानी, 2. सरजू देवी, 3. राजेन्द्र कुमार शर्मा, 4. कैलाश चन्द शर्मा, 5. कृष्ण शर्मा के राशनकार्डो पर अन्य व्यक्तियों के आधार कार्डो पर गेहूँ वितरण करने का आरोप था। अपीलार्थी ने दिनांक 12.06.2020 को उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा और कथन किया कि उसका स्वास्थ्य खराब है। अपीलार्थी ने यूनिक हॉस्पिटल के चिकित्सा संबंधी दस्तावेज भी संलग्न किये। उसके बाद कोरोना महामारी एवं लॉक डाउन के चलते अपीलार्थी को आगे की कोई तारीख पेशी नहीं दी गई तथा जिला रसद अधिकारी ने इकतरफा में दिनांक 22.07.2020 को अपना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 27.05.2020 को अपीलार्थी को जो कारण बताओ नोटिस जारी किया उस नोटिस के साथ श्री अरविन्द सिले प्रवर्तन निरीक्षक की ना तो जांच रिपोर्ट संलग्न की, ना किसी राशनकार्ड, आधार कार्ड या पोस मशीन की डिटेल दी और ना ही गवाहान के बयान आदि की प्रतियां अपीलार्थी को दी, जिससे

अपीलार्थी नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सका। जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की अवहेलना हुई है। जबकि कई न्यायिक निर्णयों में सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है जैसे AIR 1996 185 के. राधाकृष्ण नायडू बनाम डायरेक्टर ऑफ सिविल सप्लाईज, 2012 (2) ई.एफ.आर. 95 रामकृपाल यादव बनाम स्टेट ऑफ यू. पी. व अन्य, 2012 (3) ई.एफ.आर. 463 सभापति पाण्डे बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य एवं 2013 (2) ई.एफ.आर. 518 इस्लामूद्दीन बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य के प्रकरण में इसकी व्याख्या की गई है। दिनांक 27.05.2020 को जो नोटिस जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उस नोटिस में श्री अरविन्द सिले प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट का उल्लेख है, लेकिन प्रवर्तन निरीक्षक ने महत्वपूर्ण तथ्यों की जांच नहीं की जिसमें (1)राशनकार्ड धारको के राशनकार्ड जब्त नहीं किये, ना उनकी प्रतियॉ ली, (2) राशनकार्ड फर्जी या डूप्लीकेट होने की जांच नहीं की, (3) आधार कार्डो की जांच नहीं की, (4) राशनकार्डधारियों के बयान नही लिये, (5) किस–किस उचित मूल्य दुकान से राशनकार्ड धारकों द्वारा गेहूँ प्राप्त किया, का प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया और ना ही ओ.टी.पी. के संबंध में ही कोई जांच की गई, (6) पोस मशीन के वितरण की प्रतियां नहीं दी, (7) श्रीमती कृष्णा शर्मा की मृत्यु की सूचना जिला रसद अधिकारी द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को दी गई या नहीं के संबंध में भी कोई जांच नहीं की गई, (8) जिला रसद अधिकारी के अपीलाधीन निर्णय में 4 उचित मूल्य दुकानों को उल्लेख है यानि दुकान संख्या 584–ए, 583–बी, 588–बी एवं 672–ए का उल्लेख है, लेकिन जिला रसद अधिकारी ने सभी उचित मूल्य दुकानो का एक ही निर्णय पारित किया। दिनांक 27.05.2020 को जिला रसद अधिकारी ने जो कारण बताओ नोटिस अपीलार्थी को जारी किया तथा उसमें जो अनियमितताएं बताई गई है वह पूर्ण रूप से गलत है। सभी उपभोक्ताओं को गेहूँ का वितरण नियमानुसार किया गया हैं जहां तक श्रीमती कृष्णा शर्मा की मृत्यू दिनांक 06.03.2013 को होने का प्रश्न है जिला रसद अधिकारी ने ना तो उक्त कृष्णा शर्मा का राशनकार्ड निरस्त किया और ना ही उसकी मृत्यू की सूचना अपीलार्थी को दी गई। उक्त के संबंध में 1989 क्रिमीनल लॉ जर्नल 1967 सुरेन्द्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार, ए.आई. आर. 2018 (एन.ओ.सी.) 551 अजय पाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य न्यायिक विनिश्चय उल्लेख किया है। जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 27.05.2020 को जो कारण बताओ नोटिस अपीलार्थी को जारी किया तथा दिनांक 22.07.2020 को इकतरफा निर्णय पारित किया, में यह उल्लेख नहीं किया कि अपीलार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र की किस शर्त का व किस प्रकार उल्लंघन किया गया। अपीलार्थी यदि उस गेहूँ का पैसा बकाया निकलता है तो वह जमा कराने को तैयार है। जिला रसद अधिकारी ने ना तो अपीलाधीन निर्णय में गेहूँ की राशि बतलाई और ना ही चालान बनाकर दिया तथा निर्णय में जो गेहूँ की दर बताई वह भी अत्यधिक है। जिला रसद अधिकारी ने अपना इकतरफा निर्णय दिनांक 22.07.2020 को पारित किया, उस समय जयपुर में कोरोना महामारी का प्रकोप तथा लॉक डाउन था तथा जिला रसद अधिकारी ने उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को विस्तृत रूप से सुनवाई को मौका भी नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के तहत आवश्यक था। उक्त कथन के संबंध में ए.आई.आर. 2018 झारखण्ड 137 सीताराम पहाडिया बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड व अन्य का उल्लेख किया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.07.2020 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश फरमावे।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की उचित मूल्य दुकान संख्या 584–ए, प्राधिकार पत्र धारक पुरूषोत्तम अग्रवाल द्वारा स्वयं दुकान का संचालन नहीं किया जाता है । बयान के वक्त पुरूषोत्तम अग्रवाल की पत्नी किरण देवी ने स्वीकार किया है कि दुकान का संचालन प्रवीण अग्रवाल द्वारा किया जाता है। परिवादीगण कालूराम शर्मा, कैलाश चन्द शर्मा, लीलाराम भगतानी, योगेश सैनी एवं राजेन्द्र कुमार शर्मा ने भी अपने परिवादों में दुकान संख्या 588 बी व 584 ए का प्रवीण अग्रवाल नाम के व्यक्ति द्वारा ठेके पर चलाने एवं विविध अनियमितताये किये जाने का आक्षेप किया है जो सही पाया गया। दुकान का संचालन भी अधिकृत व्यापार स्थल से अन्यत्र स्थान पर किया जाना पाया गया है । उचित मूल्य दुकानदार पुरूषोत्तम अग्रवाल द्वारा दुकान संचालन 585 ए का प्रवीण अग्रवाल नाम व्यक्ति के माध्यम से संचालन करते हुये गम्भीर अनियमितताए की है। परिवादीगण के राशनकार्डो में फर्जी आधारकार्ड लिंक करके कुल 390 किलोग्राम गेहूं का का अवैद्य आहरण कर निजी हित में उपयोजन किया जाना प्रमाणित होता है। उचित मूल्य दुकान संख्या 584 ए की प्राधिकार पत्र धारक श्री पुरूषोत्तम अग्रवाल एवं दुकान के अनाधिकृत संवालक प्रवीण अग्रवाल निवासी 69/392 हीरापथ मानसरोवर जयपुर को गेहूं के बाजार मूल्य की वसूली का नोटिस जारी किया गया है। डीलर द्वारा की गई उक्त अनियमितताए केन्द्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण)आदेश 2015 एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थी पर राशन कार्ड संख्या 119007400749, 119005501493 एवं 1190005501695 में परिवार के अलावा दीगर व्यक्ति का आधारकार्ड को लिंक करके गेहूं की निकासी कर किये जाने की अनियमितता किये जाने का आरोप है। उपभोक्ता उचित मूल्य दुकानदार के पास राशन कार्ड व आधार कार्ड लेकर राशन सामग्री लेने आते है। जिनका पोस मशीन द्वारा सत्यापन करने के पश्चात ही सामग्री दी जाती है।राशन कार्ड संख्या 119007400749, 119005501493 एवं 1190005501695 पर सामग्री लिये जाने पर उसके मुखिया को वस्तुस्थिति की जांच करने के लिए तलब नहीं किया गया है। आधारकार्ड डबल मिलना नहीं पाया गया है और न ही आधार कार्ड को फर्जी सिद्व कर पाये है। राशनकार्डो पर अन्य के आधार कार्ड किस के द्वारा कब लिंक किये गये, इसकी कोई जांच नहीं की गई। राशनकार्ड धारक को एवं जिनके आधार कार्ड गलत लिंक किये गये है, उनसे कोई जांच नहीं की गई, न ही उनके बयान लिये गये। इस बात की भी जांच नहीं की गई कि क्या एक ही आधार कार्ड से दो बार गेहूं उठाये गये है ? यह भी जांच का विषय है, की क्या आधारकार्ड डीलर द्वारा लिक किये गये है या किसी ई मित्र केन्द्र द्वारा। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच प्रोपर तरीके किया जाना नहीं पाया गया है। ऐसे मामले कई उचित मूल्य दुकानों पर पाये गये है जिनमें से कुछ मामलों में केवल गेहूं की राशि जमा कर छोड दिया गया जबकि अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर समस्त प्रतिभूति राशि भी जब्त सरकार

कलक्टर
जयपुर

कर ली गई। इस प्रकार एक ही तरह की अनियमितता के मामलों में जिला रसद अधिकारी द्वारा अलग अलग सजा से दण्डित किया गया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्को से सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.07.2020 को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि वहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।

9. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई अनियमितता मानते है, तो प्रकरण में संबंधित राशनकार्डधारी उपभोक्ता एवं आधारकार्डधारी के बयान लेकर संबंधित राशनकार्ड एवं आधारकार्ड की जांच करें आधार कार्ड गलत लिंक किये गये है या नहीं एवं यदि गलत लिंक किये गये है तो किसके द्वारा आदि तथ्यों की पैरा 7 में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर जांच करें एवं अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे।

10. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

11. निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को सरे इजलास सुना गया ।

12/4/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलेक्टर
जयपुर